मुख्यमंत्री का महिला सशक्तीकरण हेतु सात सूत्रीय कार्यक्रम

मुख्यमंत्री की महिलाओं के प्रति संवदेनशीलता एवं महिलाओं के सम्पूर्ण विकास हेतु सरकार की कटिबद्वता के मध्यनजर बजट घोषणा वर्ष 2009–10 के द्वारा **"महिला सशक्तिकरण हेतु सात सूत्रीय कार्यक्रम"** की शुरूआत की गई। यह कार्यक्रम महिलाओं के जीवन चक्र पर आधारित है। इस कार्यक्रम को महिलाओं के जीवन के विभिन्न चरणों में आवश्यकताओं के आधार पर बनाया गया है। इस कार्यक्रम के द्वारा महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, भयमुक्त वातावरण तथा महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा आदि प्रदत्त करने का प्रयास किया जा रहा है। जिससे की महिलाएं एक गरिमापूर्ण तथा स्वतंत्रापूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें तथा उन्हें प्राप्त अधिकार एवं सेवाओं का अधिकतम लाभ उठा सकें।

- सुरक्षित मातृत्व
- शिशु मृत्यु दर में कमी
- जनसंख्या स्थिरीकरण
- बाल विवाह रोकथाम
- बालिकाओं का स्कूल में कम से कम कक्षा 10 तक ठहराव
- महिलाओं को सुरक्षा एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान करना।
- महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करते हुये स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक सशक्तीकरण

यह कार्यक्रम महिलाओं के सर्वांगीण विकास पर आधारित है तथा इसका क्रियान्वयन सभी संबंधित विभागों के समन्वयन के माध्यम से किया जा रहा है।

	लक्ष्य	नोडल विभाग
1	सुरक्षित मातृत्व	स्वास्थ्य विभाग
2	शिशु मृत्यु दर में कमी	स्वास्थ्य विभाग
3	जनसंख्या स्थिरीकरण	स्वास्थ्य विभाग
4	बाल विवाहों की रोकथाम	महिला एवं बाल विकास विभाग एवं गृह विभाग
5	बालिकाओं का स्कूल में कम से कम कक्षा 10 तक ठहराव	शिक्षा विभाग
6	महिलाओं को सुरक्षा एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान करना।	महिला एवं बाल विकास विभाग एवं गृह विभाग
7	महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण	महिला एवं बाल विकास विभाग

जननी एवं सुरक्षा योजना के माध्यम से मातृत्व मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में कमी तथा जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। बाल विवाह के उन्मूलन हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बाल विवाह मुक्त ग्राम योजना, सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान योजना तथा इस संबंध में प्रचार प्रसार द्वारा प्रभावी प्रयास किये जा रहे है। मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सभी सरपंच एवं जनप्रतिनिधियों को सीधे सम्बोधित करके समाज से बाल विवाह जैसी कुरीति को हटाने हेतु आग्रह किया जा रहा है। महिलाओं के संरक्षण एवं उनके लिये सुरक्षित वातावरण निर्माण हेतु महिला थाना तथा समस्त पुलिस जिलों में महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र खोले गये है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की अनुपालना में राज्य में संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण की रोकथाम हेतु विभिन्न विभागों में शिकायत समितियों का गठन किया गया है। महिला आयोग के द्वारा महिला हेल्पलाईन की शुरूआत की गई है।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण व महिलाओं को स्वरोजगार से जोडने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कलेवा योजना, प्रियदर्शिनी योजना, स्वावलम्बन योजना, 50 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना, मिशन ग्राम्य शक्ति, धनलक्ष्मी केन्द्रों आदि के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के क्षमता वर्धन के प्रयास किये जा रहे है। जिसके द्वारा वे आत्मनिर्भर बनकर जीविका उपार्जन कर सके।

कार्यक्रम की प्रगति माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एवं नियमित निगरानी मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित समितियां कर रही है:–

राज्य स्तरीय प्रबोधन समिति:–

मुख्यमंत्री	**अध्यक्ष**
स्वास्थ्य मंत्री	**सदस्य**
महिला एवं बाल विकास मंत्री	**सदस्य**
शिक्षा मंत्री	**सदस्य**
पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री	**सदस्य**
गृह मंत्री	**सदस्य**
अध्यक्ष राज्य महिला आयोग	**सदस्य**
मुख्य सचिव	**सदस्य**
प्रमुख सचिव	**सदस्य**
प्रमुख शासन सचिव, मबावि	**सदस्य**
सचिव,मबावि	**संयोजक**

कार्यक्रम के अंतर्विभागीय समन्वय हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रति दो माह आधार पर प्रगति की समीक्षा के लिये राज्य स्तरीय समन्वय समिति गठित की गई है। जिसके सदस्य निम्नलिखित है:–

मुख्य सचिव	**अध्यक्ष**
प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा	**सदस्य**
प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज एवं ग्रमीण विकास	**सदस्य**
प्रमुख शासन सचिव, मबावि	**सदस्य**
प्रमुख शासन सचिव, गृह	**सदस्य**
प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	**सदस्य**
प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	**सदस्य**
प्रमुख शासन सचिव, वित्त	**सदस्य**
प्रमुख शासन सचिव, लघु उधोग	**सदस्य**
सदस्य सचिव, राज्य महिला आयोग	**सदस्य**
सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग	**संयोजक**

- संबंधित विभागों के प्रमुख शासन सचिवों द्वारा अपने विभागीय लक्ष्यों का प्रबोधन।
- जिला स्तर पर जिला प्रमुख की अध्यक्षता में सभी विभागों के अफसरों का समूह।
- ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के माध्यम से प्रबोधन।